BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
Original Application No. 196/2022
MISC APPLICATION IN DISPOSED OF CASES No. 38/2023

Hariom Gupta & Ors. ……. Applicants

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. …..Respondents

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PALIKA PARISHAD, LONI, UTTAR PRADESH	1-6
2.	A true copy of the letter is annexed here as ANNEXURE 1.	7
3	A true copy of the photographs of the regular cleaning is annexed here as ANNEXURE 2.	8-11
4	A copy of this approval is annexed herewith as ANNEXURE 3.	12 -13
5	The true copy of the Inspection Report annexed as ANNEXURE - 4	14
6	A true copy of the letter dated 22nd June 2024 is annexed as the ANNEXURE- 5	15

THROUGH

Priyanka

PRIYANKA SWAMI
Advocate
Counsel for Nagar Palika Parishad, Loni
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014

Date: 23.06.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
Original Application No. 196/2022
MISC APPLICATION IN DISPOSED OF CASES No. 38/2023

Hariom Gupta & Ors. …. Applicants

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. ….Respondents

ACTION TAKEN REPORT ALONG WITH THE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PALIKA PARISHAD, LONI, UTTAR PRADESH.

That the said action taken report is on behalf of the executive officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Uttar Pradesh, in compliance with the order dated 03.04.2024.

1. That is respectfully submitted that we have sent a letter to the Principal Secretary, Urban Development Department, UP via Letter no. 1579/N.P.P.L.G.A./2023-24 DATED 16.01.2024 regarding the preparation of DPR of sewage and drainage plan for the drainage of pooja colony of the municipality area under AMRUT 2.0. A true copy of the letter is annexed here as **ANNEXURE 1.**

2. That it is pertinent to mention here that the concerned DM, District Administration is monitoring the actions in compliance with the order, it is further mentioned that the Estimated withdrawal of 372000 litres of water,

has been taken from there on a daily basis to the sewage treatment plant, where the water is treated, as found true by the report of UPPCB dated 18.01.2024. Further, it is informed that the area is always flooded with water in low-lying areas and there is no proper drainage disposal of sewage as well as Stormwater. A true copy of the photographs of the regular cleaning is annexed here as **ANNEXURE 2.**

3. That it is further mentioned that the applicant disclaims personal involvement in the subject matter and refrains from visiting the site to assess the conditions of the roads despite repeated calls.

4. Further, it is pertinent to inform you that pursuant to the letter dated January 25, 2024, bearing reference number S. No. 613/Nine-5-2024-42 Writ/2023, issued by the Joint Secretary of the Uttar Pradesh Government's Urban Development Section-5 in Lucknow, approval has been granted to formulate a sewerage drainage plan in accordance with prescribed regulations. A copy of this approval is annexed herewith as **ANNEXURE 3**. Consequently, the entity is diligently adhering to the directives laid forth by the esteemed National Green Tribunal, and the ongoing drainage work in Pooja Colony is being executed accordingly.

5. That it is further mentioned that in several streets within the colony (approximately 6 to 7 streets), septic tanks have been installed within individual households for the disposal of domestically generated excreta, while water resulting from routine domestic activities and cleanliness endeavours is channelled through appropriate means. However, the absence of adequate sewage and drainage infrastructure has led to the accumulation

of water in the green belt area adjacent to Sector-1 of Trans Delhi Signature City, Loni Ghaziabad, particularly near Ansal Estate. To address this issue, the municipal authority is periodically draining the waterlogged area using pump sets and jetting machines.

6. That it is respectfully submitted that the map and layout plan have been duly sanctioned by the Ghaziabad Development Authority, affirming the body's adherence to regulatory standards. It is imperative to note that the organisation operates independently, focusing on public health and sanitation initiatives as mandated. Consequently, the imposed penalty is deemed disproportionate and not conducive to the organisation's objectives. We respectfully request your careful consideration of our position and accompanying documentation.
7. It is most respectfully submitted that the executive officer was under the impression that the senior officials of Jal Nigam would take up the DPR on priority letters from the DM, The joint secretary of Urban Development, the Jal Nigam has not initiated any steps to resolve the environmental issues.
8. Further, it is submitted that another joint inspection was done by the officials of Jal Nigam with the sanitation officer of Nagar Palika Parishad Loni on 21st June 2024. where there is a need to have a geographical survey of the low-line area before making the DPR. The true copy of the Inspection Report annexed as **ANNEXURE - 4**
9. It is pertinent to mention here that the executive officer of Nagar Palika Parishad Loni has already agreed to pay a sum of Rs 5 lakh for the same study/ survey suggested by the officials of Jal Nigam. A true copy of the letter dated 22nd June 2024 is annexed as the **ANNEXURE- 5.**

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:

i. To take this report on record

ii. Pass any such other order as may deem fit

THROUGH

PRIYANKA SWAMI
Advocate
Counsel for Nagar Palika Parishad, Loni
F- 13, Ground Floor,
Jangpura Extension,
New Delhi- 110014

Date: 23 .06.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
Original Application No. 196/2022

Hariom Gupta & Ors. .... **Applicants**

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. .....**Respondents**

AFFIDAVIT

I, **Sh. Krishna Kant Mishra** aged about 40 years s/o Sh. Ram Lawat Mishra is presently posted as **Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Uttar Pradesh** having an office at **Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh presently in Delhi.**

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY S.P. SINGH ADVOCATE GHAZIABAD Regd. No. 6041 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at ~~New Delhi~~ Ghaziabad on this 22 day of JUNE 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY S.P. SINGH ADVOCATE GHAZIABAD Regd. No. 6041 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

ATTESTED
No. 1 Dated 22-6-2024
Certified that Documents Affidavit Shri Krishna Kant Mishra
Identified by Shri Self
22-6-2024
SUMAN PAL SINGH
Notary, Ghaziab...

ANNEX-1

कार्यालय नगर पालिका परिषद् लोनी, जनपद–गाजियाबाद

पत्र संख्या :–1579 / न0पा0परि0लो0गा0 / 2023–24

दिनांकः–16 जनवरी 2024

सेवा. में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, अनुभाग–1,
उ0 प्र0 शासन।

विषयः– **अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेज ड्रेनेज प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद जनसंख्या की विशालता के आधार पर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, जो लगभग 58.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि जनगणना–2011 के अनुसार निकाय की कुल आबादी 5.86 लाख है जबकि वर्तमान में लगभग 10 से 12 लाख आबादी निवास कर रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि निकाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीपस्थ है। इस कारण यहाँ अभी भी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। जनपद बागपत से आने वाली बसी ड्रेन का उत्प्रवाह आवास–विकास के क्षेत्र से होकर टीडीएस सिटी, लोनी, गाजियाबाद में आकर भर रहा है। लोनी नगर पालिका के आस–पास के अधिकांश वार्डो में सम्पर्क मार्ग ऊँचे–नीचे एवं कच्चे तथा डूब क्षेत्र होने के कारण निकाय में जलभराव एक गम्भीर समस्या के रूप में विद्यमान है। मानसून में बरसात का घनत्व अधिक होने के कारण एवं नगर पालिका परिषद्, लोनी का भौगोलिक स्वरूप जलवहाव के अनुरूप न होने के कारण जल प्लावन की समस्या अधिक है। **चूँकि उक्त क्षेत्र यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण पालिका का क्षेत्र लो–लैण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है एवं जल निकासी का कोई मुख्य स्त्रोत नही है।**

उक्त के क्रम मे अवगत कराना है कि पूजा कालोनी फ्रीहोल्ड कालोनी, जिसमें छोटे–छोटे मकानों के रूप में निवासी निवास करते है, जो घनी आबादी है। यह आबादी लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व में फ्री होल्ड कालोनी दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है। इस कालोनी का प्राकृतिक ढाल दिल्ली सहारनपुर रोड से सी–3 सेक्टर सिग्नेचर सिटी (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) की ओर है एवं पूजा कालोनी, सी–3 सेक्टर सिग्नेचर सिटी (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) से लगभग 01 मीटर से 1.50 मीटर ऊँचाई पर स्थित है तथा पूजा कालोनी की 7 से 8 कालोनियों का पानी, पावी सादकपुर में दिल्ली सहारनपुर रोड के पास स्थित गहरे गड्ढे में भरा रहता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 196 / 2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"It may also be observed here that UPPCB cannot be a silent spectator to the violations of the Solid Waste Management Rules 2016 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and mere issuance of show cause notices without taking of appropriate action on the same or issuance of directions without implementation of the same can not achieve the object of protection of environment. The UPPCB is directed to take action for of environmental compensation and also prosecution of the concerned officers and the contractor alleged to have violated the environmental norms...."

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि अमृत 2.0 के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र के पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज की डी0पी0आर0 तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

16.1.24

(कृष्ण कान्त मिश्र)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक–तदैव

प्रतिलिपि–

1–निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर विस्तार, सेक्टर–7, लखनऊ।
2–जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3–मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज का डी.पी.आर. तैयार करने का कष्ट करें, चूँकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 196 / 2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, & Ors. से सम्बन्धित है; शीघ्रता अपेक्षित है।
4–क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

16.1.24

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद

Sadabad Durgavali
सदाबाद दुर्गावली
220 KV Sub Station UPPTCL , Pavi
220 केवी उप स्टेशन यूपीपीटीसीएल , पावी
Pavi Sadakpur
पवी सदकपुर
Google
Q7HH+7PG, SH 57, Ansal East End, Trans Delhi Signature City, Ghaziabad, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India
Ghaziabad
Uttar Pradesh
India
2024-06-17(Mon) 11:14(AM)
42°C
108°F

Sadabad Durgavali
सदाबाद दुर्गावली
220 KV Sub Station UPPTCL , Pavi
220 केवी उप स्टेशन यूपीपीटीसीएल , पावी
Pavi Sadakpur
पवी सदकपुर
Google
Ghaziabad
Uttar Pradesh
India
2024-06-17(Mon) 11:14(AM)
42°C
108°F

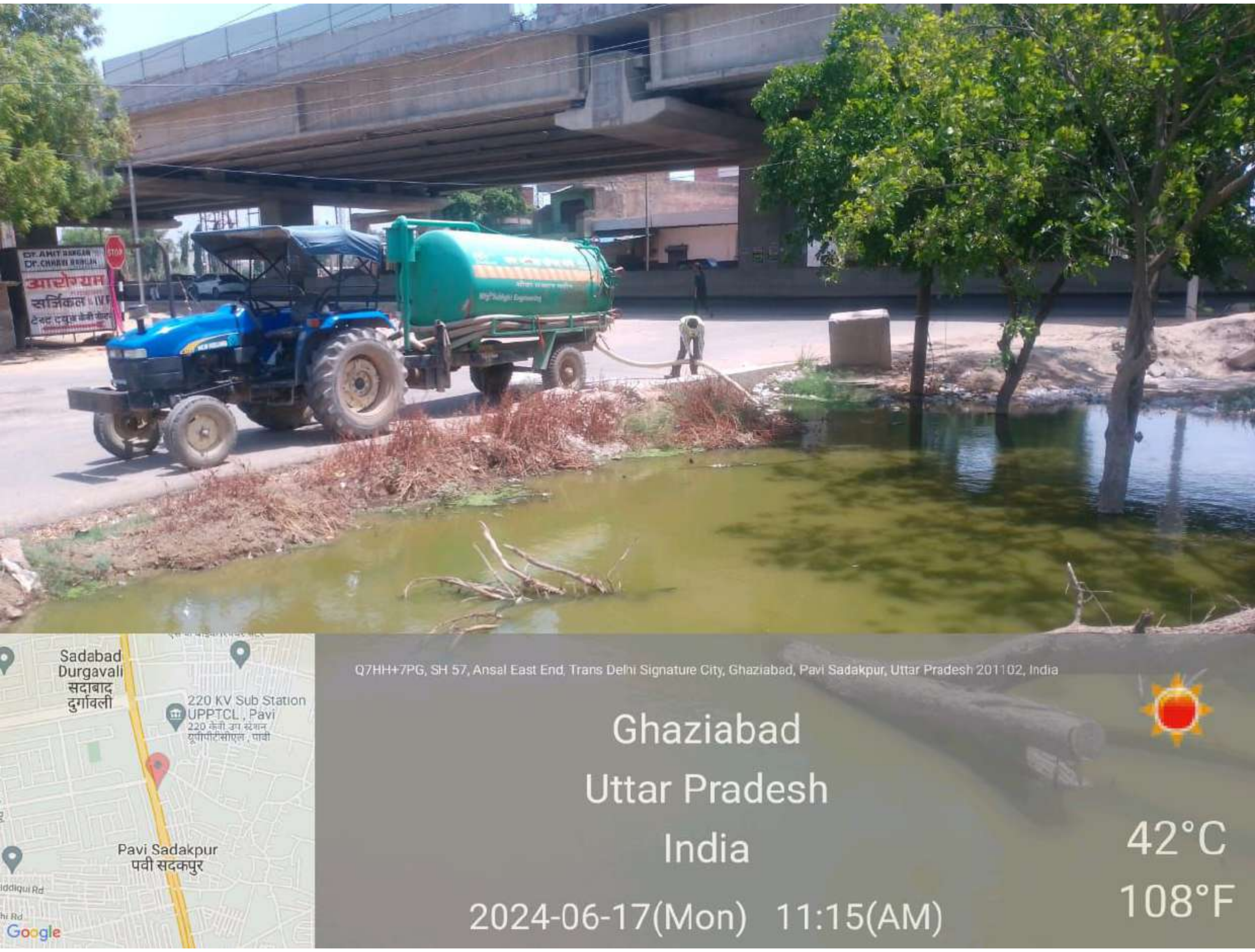
Sadabad
Durgavali
सदाबाद
दुर्गावली
220 KV Sub Station
UPPTCL , Pavi
Pavi Sadakpur
पवी सदकपुर
Google
Q7HH+7PG, SH 57, Ansal East End, Trans Delhi Signature City, Ghaziabad, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India
Ghaziabad
Uttar Pradesh
India
2024-06-17(Mon) 11:15(AM)
42°C
108°F

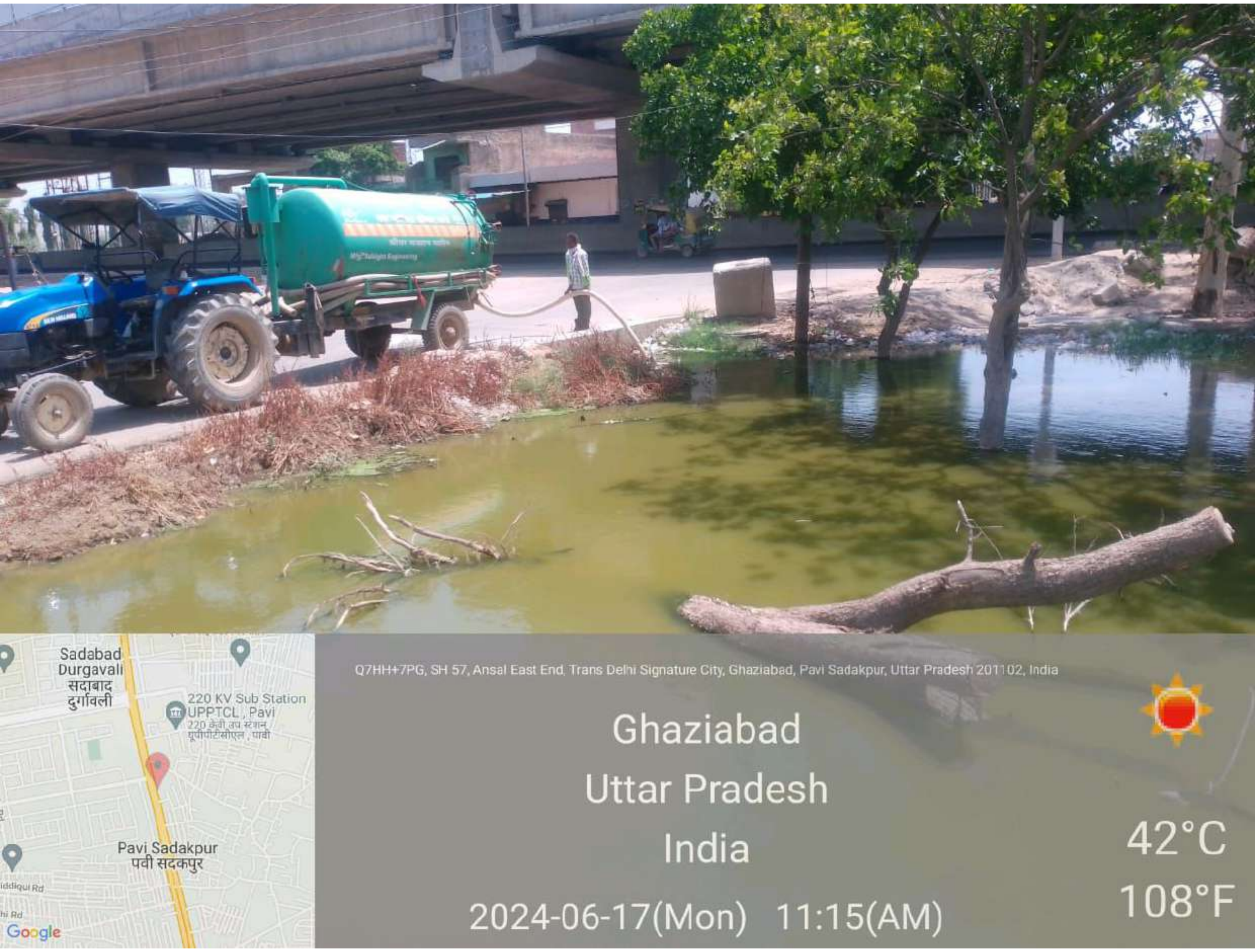
Sadabad
Durgavali
सदाबाद
दुर्गावली
220 KV Sub Station
UPPTCL, Pavi
Pavi Sadakpur
पवी सदकपुर
Google
Q7HH+7PG, SH 57, Ansal East End, Trans Delhi Signature City, Ghaziabad, Pavi Sadakpur, Uttar Pradesh 201102, India
Ghaziabad
Uttar Pradesh
India
2024-06-17(Mon) 11:15(AM)
42°C
108°F

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या–38–2023 in ओ0ए0 संख्या–196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–196/2022, Hariom Gupta & Ors. Versus. Nagar Palika Parishad & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार हैः–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 में दिनांक 19.01.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं अन्य के साथ मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद को पृष्ठांकित के पत्रांक 1579/न0पा0परि0लो0गा0/2023–24 दिनांक 16.01.2024 द्वारा पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज व ड्रेनेज की डी0पी0आर0 तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में आख्या निम्नानुसार हैः–

लोनी नगर में सीवरेज व्यवस्थाः–

लोनी के सम्पूर्ण क्षेत्र को सीवरेज के पूर्ण संतृप्तिकरण हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 03 भाग में सिटी वॉटर एक्शन प्लान तैयार कर AMRUT 2.0 Collaboration Portal पर प्रवृष्टि कर दी गई है। उक्त सी0डब्लू0ए0पी0 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार :–

1. भाग–1ः लोनी सीवरेज योजना (फेस–3, पार्ट–1) लागत रू0 72.37 करोड़ (कैपेक्स– 71.33 करोड़ औपेक्स– 1.04 करोड़), इस योजना के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र के वार्ड 28 एवं 41 जिसके अन्तर्गत सादुल्लाबाद, अंकुर विहार, डी0एल0एफ0 विहार आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं, को सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने हेतु 57 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 6927 नग सीवर गृह संयोजन एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये है। इस योजना की स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा माह नवम्बर–2022 में प्रदान की जा चुकी है। योजना के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलित है।
2. भाग–2ः लोनी सीवरेज योजना (फेस–3, पार्ट–2) लागत रू0 103.97 करोड़ (कैपेक्स–102.45 करोड़ औपेक्स– 1.52 करोड़):– उक्त योजना के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र की लगभग 15 वार्ड के जोकि वर्तमान में आंशिक सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित है, को 100 प्रतिशत सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने हेतु 70 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 26707 नग सीवर गृह संयोजन एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये है। उक्त योजना के सी0डब्लू0ए0पी0 की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजना के विस्तृत प्राक्कलन विरचन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
3. भाग–3ः लोनी सीवरेज योजना (फेस–3, पार्ट–3) लागत रू0 2067.00 करोड़ (कैपेक्स–1825.00 करोड़ औपेक्स– 242.00 करोड़):–, उक्त योजना के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र के अवशेष 38 वार्डों जिसमें अन्य कालोनी के अतिरिक्त पूजा कालोनी सम्मिलित है, को सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने हेतु 136

एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, 10 नग पम्पिंग स्टेशन, 900 कि0मी0 सीवर नेटवर्क, 111339 नग सीवर गृह संयोजन एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये है। उक्त योजना के सी0डब्लू0ए0पी0 की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजना के विस्तृत विरचन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद स्थित लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पूर्व निर्मित 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (एम0बी0बी0आर0 टाईप) सादुल्लाबाद के शोधित श्राव को औद्योगिक प्रयोग हेतु योजन, लागत रू0 108.45 करोड़ (कैपेक्स–97.45 करोड़ औपेक्स– 11.00 करोड़) की स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा माह नवम्बर–2023 में प्रदान की जा चुकी है। योजना के अन्तर्गत 15 एम0एल0डी0 टी0टी0पी0, सी0डब्लू0आर0 – 2500 के0एल0, ओ0एच0टी0 – 01 नग (2000 के0एल0), वितरण प्रणाली – 35 कि0मी0 एवं राईजिंग मेन – 2.50 कि0मी0 कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में योजना की निविदा प्रक्रिया प्रचलित है।

लोनी नगर में ड्रेनेज व्यवस्थाः–

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 3788/नौ–5–2012–111बजट/2010 नगर विकास अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा रू0 05.00 लाख से अधिक लागत के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कराये जाने निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि लोनी नगर यमुना नदी के बायी तट पर डूब क्षेत्र में स्थित होने के कारण जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान हेतु सम्पूर्ण नगर का विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किये जाना आवश्यक है। सर्वेक्षण एवं मास्टर प्लान पर लगभग रू0 50.0 लाख का व्यय अनुमानित है। लोनी नगर पालिका द्वरा उक्त धनराशि उपलबध कराने एवं उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को कार्यदायी संस्था नामित कराने के उपरान्त लोनी नगर के ड्रेनेज की डी0पी0आर0 विरचन का कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(अरुण प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद

(सी0एस0 सोलंकी)
अधीक्षण अभियन्ता,
निर्माण मण्डल,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद

01.04.24

(आर0के0 पंकज)
मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद

समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या:613/नौ–5–2024–42रिट/2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

2–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 25 जनवरी, 2024**

विषयः–अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेज ड्रेनेज प्लान तैयार कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद–गाजियाबाद के पत्र संख्या–1579/न0पा0परि0लो0गा0/2023–24 दिनांक 16.01.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की जल निकासी हेतु सीवरेज व ड्रेनेज की डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद– गाजियाबाद के उक्त पत्र दिनांक 16.01.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव शीर्ष प्राथमिकता/व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
25.01.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं0:२८१ /न0पा0परि0लो0/2024–25 दिनांक:२२जून 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद।

विषयः–<u>माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अवगत ही है कि दिनांक 21.06.2024 को नगर पालिका परिषद्, लोनी क्षेत्रान्तर्गत पूजा कालोनी का निकाय, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) व यूनिट–31 सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में भौगोलिक सर्वेक्षण के उपरान्त ही पूजा कालोनी क्षेत्र के जल निकासी हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार की जा सकेगी, जिसके क्रम में क्षेत्र के भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु होने वाले व्यय के मद में अग्रिम धनराशि के रूप में रू0 5.00 लाख आपके विभाग को उपलब्ध कराये जाने है।

उक्त के क्रम में निकाय द्वारा पूजा कालोनी क्षेत्र के भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु होने वाले व्यय के मद में अग्रिम धनराशि के रूप में रू0 5.00 लाख आपके विभाग को स्थानान्तरित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि आपके विभाग को स्थानान्तरित करने हेतु मांग पत्र मय बैंक विवरण सहित इस निकाय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त धनराशि आपके विभाग को तत्काल स्थानान्तरित की जा सके। चूँकि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित है, शीघ्रता प्रार्थनीय है।

(कृष्ण कान्त मिश्र)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, लोनी
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक–तदैव।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1–अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/व0प्र0अधि0स्था0नि0 महोदय, गाजियाबाद।
2–उपजिलाधिकारी महोदय, लोनी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, लोनी
गाजियाबाद

Scanned with OKEN Scanner